**राजस्थान सरकार**
**नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग**

क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012

जयपुर, दिनांक : 23 DEC 2021

## आदेश

'शहर-2021' प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 का प्रथम चरण 31 दिसम्बर 2021 को समाप्ति के पश्चात् दिनांक 1 जनवरी से 15 जनवरी 2022 तक समस्त स्थानीय निकायों द्वारा अभियान में सम्पादित कार्यों की समीक्षा कर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य योजना बनाकर 16 जनवरी 2022 से द्वितीय चरण के शिविरों की तैयारी करने बाबत् निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते है-

1. राज्य सरकार के स्तर से 1 जनवरी, 2022 से 15 जनवरी, 2022 के दौरान सम्पूर्ण राज्य में जिलेवार शहर-2021 के संबंध में कार्यशालऐं आयोजित किये जाने का कार्यक्रम अलग से जारी किया जा रहा है, जिसमें नगरीय विकास विभाग, स्वायत शासन विभाग व नगर नियोजन के वरिष्ठ अधिकारी, संबंधित जिला कलक्टर, महापौर/उप महापौर/अध्यक्ष/सभापति/उप सभापति समस्त नगरीय निकाय, स्थानीय निकायों के अभियान से जुड़े समस्त अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जावेगा। इन कार्यशालाओं में अभियान के कार्यों की प्रगति की समीक्षा के साथ अभियान के द्वितीय चरण में अभियान को कैसे गति दी जा सकती है इस बाबत विस्तृत चर्चा की जावेगी। स्थानीय निकाय के स्तर पर जो भी बाधाऐं या भ्रांतिया उत्पन्न हो रही है, उस बाबत् स्थिति स्पष्ट की जावेगी।
   (i) इन कार्यशालाओं में प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा प्रगति व समस्याओं संबंधी एक Presentation प्रस्तुत किया जावेगा, जिसमें अभियान के दौरान किये गये विभिन्न कार्यो की प्रगति, 69-ए के सर्वे, कृषि भूमि ले-आउट प्लान्स की स्थिति, विभिन्न स्थानीय समस्याऐं एवं उनके निराकरण बाबत् सुझाव प्रस्तुत किये जावेगें। **ऐसे Presentation में संलग्न परिशिष्ट में अंकित बिन्दुओं को आवश्यक रूप से शामिल किया जावें।**
   (ii) राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा भ्रांतिया दूर करने का प्रयास किया जावेगा तथा आवश्यकतानुसार Presentation भी दिया जा सकता है।
2. राज्य सरकार द्वारा अभियान से संबंधित 2 पुस्तके प्रकाशित की गयी है। स्थानीय निकायों द्वारा स्वयं के स्तर से इनकी प्रतियां जन-प्रतिनिधियों एवं निकाय कार्मिकों को उपलब्ध करवायी जावें।
3. **30 नवम्बर, 2021 के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा अभियान से संबंधित जारी विभिन्न दिशा-निर्देशों/आदेशों इत्यादि को संकलित कर नयी निर्देशिका भाग-3 शीघ्र प्रिन्ट करवाकर उपलब्ध करवायी जा रही है।**
4. प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा अपने अधिकारियों एवं अभियान में लगे समस्त कार्मिको को राज्य सरकार द्वारा अब तक जारी परिपत्र/आदेशों/छूट/शिथिलताओं इत्यादि की पूर्ण जानकारी दी जावें।
5. निकायों द्वारा स्थानीय स्तर पर अलग से दिनांक 15.01.2022 से पूर्व आवश्यक रूप से निम्न बैठकें रखी जावेः-
   (i) स्थानीय जनप्रतिनिधियों यथा माननीय विधायकगण, सभापति, पार्षदगण इत्यादि के साथ बैठके।

Scanned with Ca

(ii) व्यापार मण्डल, गैर सरकारी संगठन (NGOs), लाइन्स क्लब इत्यादि से बैठके।

(iii) निकाय के कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक जिसमें कर्मचारियों को सभी जानकारियों का जायजा लिया जावे तथा प्रगति बढ़ाने हेतु रूप रेखा तैयार की जावें।

**प्रत्येक नगर निकाय उपरोक्त बैठकों की तारीख तय कर सभी संबंधित को सूचित करें तथा जिला स्तरीय कार्यशाला में उपरोक्त बैठकों की तारीख बाबत् जानकारी दी जावें।**

6. स्थानीय निकायों द्वारा, स्वीकृत स्टाफ की पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित की जावें। अभियान के कारण यदि अतिरिक्त स्टाफ यथा सहायक नगर नियोजक, कनिष्ठ अभियन्ता, अरबन प्लानर, प्रारूपकार इत्यादि की आवश्यकता हो, तो अविलम्ब कॉन्ट्रेक्ट (संविदा) पर रखा जाकर लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किया जावें। निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा इस संबंध में पृथक से आदेश जारी किये जा रहे है।

7. अभियान में जारी प्रमुख दिशा–निर्देश, आम जनता को दी गई विभिन्न रियायते/छूट, प्रक्रिया का सरलीकरण, पंजीयन दर इत्यादि का प्रचार–प्रसार सामग्री तैयार कर स्थानीय निकाय मुख्यालय एवं निकाय क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित की जावें। इसे निरन्तर अपडेट (अद्यतन) किया जावें।

8. राज्य सरकार को ज्ञात हुआ है कि कतिपय स्थानीय निकायों द्वारा निकाय में शहर–2021 से संबंधित समस्त प्राप्त पूर्व से लम्बित पत्रावलियों का इन्द्राज नही किया जाकर मात्र निस्तारण योग्य पत्रावलियों का ही इन्द्राज (Inward) किया जा रहा है, जो कि उचित नही है। अतः समस्त प्राप्त/पूर्व से लम्बित एवं नयी पत्रावलियों को तत्काल दर्ज किया जावें। भविष्य में लम्बित प्रकरणों की राज्य सरकार के स्तर पर प्रकरण प्राप्ति तिथि से 15 दिवस पश्चात् से गणना की जावेगी।

9. अभियान प्रारम्भ से अब तक प्राप्त एवं निस्तारित पत्रावलियों, विभिन्न सेवाओं में जमा राशि का विवरण नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत शासन विभाग की वैबसाइट पर अपडेट की जावें।

10. यह देखा गया है कि अभियान से संबंधित मुद्रित दिशा–निर्देश, निर्देशिकाऐं, नगरीय विकास विभाग, स्वायत शासन विभाग की वैबसाईट पर उपलब्ध होने के बावजूद अभियान से जुड़े कार्मिक में पूर्ण जानकारी का अभाव है। अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में अभियान के शिविर प्रभारी द्वारा शिविर स्थल पर मुद्रित निर्देशिकाऐं, राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों का अद्यतन सेट कैम्प स्थल पर रखा जावे। संभागवार नियुक्त प्रेक्षको द्वारा निरीक्षण के दौरान इसकी अनुपालना सुनिश्चित करवायी जावे, ताकि राज्य सरकार द्वारा किये गये सरलीकरणों एवं छूट का आमजन को लाभ मिल सके।

11. अभियान में अभी तक के कार्यो में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूचि तैयार की जावे, जिसकी क्षेत्रीय उप निदेशक व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा समीक्षा की जाकर राज्य सरकार को भेजे जावेगें, ताकि पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों को उचित प्रोत्साहन दिया जा सके।

उपरोक्त आदेशों की तत्काल पालना सुनिश्चित की जावें।

**संलग्न–परिशिष्ट**

**(कुंजीलाल मीणा)**
**प्रमुख शासन सचिव**

**(भवानी सिंह देथा)**
**शासन सचिव**

Scanned with Ca

क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012

जयपुर, दिनांक : 23 DEC 2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. विशिष्ठ सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/ विकास प्राधिकरण।
9. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
10. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
11. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
12. सचिव, नगरीय विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
13. प्रेक्षक, समस्त संभाग।
14. सुरक्षित पत्रावली।

**(दीपक नन्दी)**
**निदेशक एवं विशिष्ट सचिव**

**(मनीष गोयल)**
**संयुक्त शासन सचिव–प्रथम**

Scanned with Ca

**'शहर–2021' में 1 से 15 जनवरी, 2021 में नगरीय निकायों द्वारा कार्यशाला में दिये जाने वाले प्रस्तुतीकरण में प्रगति सहित निम्न सूचनाऐं सम्मिलित की जावें**

**1. कृषि भूमि के पट्टो के संबंध में–**

(i) स्वीकृत ले–आउट प्लान के संबंध में–
- कुल स्वीकृत ले–आउट प्लानों की संख्या
- कुल पट्टो की संख्या
- प्राप्त आवेदनों की संख्या
- जारी पट्टो की संख्या
- शेष पट्टो की संख्या

(ii) अनुमोदन हेतु लम्बित ले–आउट प्लानों की संख्या तथा इनमें देय पट्टी की संख्या।

(iii) ले–आउट प्लानों की संख्या जिनका सुओ–मोटो कराया जाना शेष है तथा इनके संभावित पट्टो की संख्या

(iv) कॉलोनियों के सर्वे की प्रगति–
- चिन्हित कॉलोनियों की संख्या
- सर्वे की टीम (दल) की संख्या
- सर्वे कब तक पूर्ण होगा तथा ले–आउट प्लान कब तक स्वीकृत होगें

(v) प्रक्रिया में सरलीकरण एवं delegation of Powers बाबत सुझाव

**2. 69–ए के तहत् जारी किये जाने वाले पट्टो के संबंध में**

(i) आबादी भूमि पर कुल सम्पतियां (Households) की संख्या
- संख्या जिनका सर्वे किया जा चुका है
- पट्टे हेतु सहमत हुये भूखण्डधारियों की संख्या
- कुल जारी पट्टों की संख्या
- लम्बित पट्टो की संख्या

(ii) शेष भूखण्डधारियों (Households) की संख्या व इनके सर्वे के संबंध में आगे का प्लान
- सर्वे हेतु लगाये गये कर्मचारियों की संख्या
- यदि किसी अन्य एजेन्सी को सर्वे हेतु लगाया गया है, तो उसकी जानकारी
- स्थानीय प्रचार/प्रसार हेतु छपवाये गये पोस्टर/पम्पलेट बाबत

(iii) पार्षदों/व्यापार मण्डल संघ/क्लब/अध्यापक आदि के साथ की गई बैठकों के संबंध में जानकारी।

(iv) प्रक्रिया में सरलीकरण एवं delegation of power बाबत सुझाव

**3. लीज होल्ड से फ्री–होल्ड जारी पट्टो के संबंध में–**

(i) जारी पट्टो की संख्या
(ii) लम्बित पट्टो की संख्या
(iii) इस संबंध में यदि कोई समस्या हो तो उसका उल्लेख

**4. कच्ची बस्ती पट्टो के संबंध में–**

(i) जारी पट्टो की संख्या

Scanned with Ca

(ii) लम्बित पट्टो की संख्या
(iii)इस संबंध में आ रही समस्या बाबत्

5. **उपविभाजन/पुर्नगठन/खांचा भूमि/भू–उपयोग परिवर्तन से संबंधित प्रकरणों के संबंध में–**

(i) कुल प्राप्त प्रकरणों की संख्या
(ii) लम्बित प्रकरणों की संख्या
(iii)इस संबंध में आ रही समस्या बाबत्

6. **व्यावसायिक प्रयोजनार्थ जारी पट्टो के संबंध में–**

(i) जारी पट्टो की संख्या
(ii) लम्बित पट्टो की संख्या
(iii)इस संबंध में आ रही समस्या बाबत्

7. **संस्थानिक (विधालय/हॉस्पीटल आदि) प्रयोजनार्थ जारी पट्टो के संबंध में–**

(i) जारी पट्टो की संख्या
(ii) लम्बित पट्टो की संख्या
(iii)इस संबंध में आ रही समस्या बाबत्

8. **भवन मानचित्र अनुमोदन के संबंध में–**

(i) प्राप्त आवेदनों की संख्या
(ii) लम्बित लम्बित आवेदनों की संख्या
(iii)इस संबंध में आ रही समस्या बाबत्

9. **नाम हस्तान्तरण के संबंध में–**

(i) नाम हस्तान्तरण हेतु प्राप्त प्रकरणों की संख्या
(ii) लम्बित आवेदनों की संख्या

10. **नगरीय निकाय द्वारा अभियान के दौरान प्राप्त राजस्व**

11. **स्टाफ के संबंध में सूचना**

(i) नियुक्त किये गये सेवानिवृत कर्मचारियों की संख्या (पदवार)
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी की संख्या (पदवार)
(iii)अन्य कर्मचारी की आवश्यकता है, तो उसके संबंध में जानकारी तथा की गई कार्यवाही।

12. सिवायचक भूमि का स्थानीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरण करना।
13. लघु अवधि लीज की सम्पत्ति को 99 वर्षीय लीज पर एवं फ्री–होल्ड के पट्टे देना।
14. EWS/LIG/MIG A&B/HIG आवासों की बकाया राशि व किस्तों में छूट एवं आंवटन बहाल करना।
15. सेक्टर रोड़ का चिन्हीकरण व Earthwork करना।
16. पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण करना/पार्कों एवं अन्य सुविधा क्षेत्रों (पार्क, सामुदायिक भवन आदि) का सीमाकंन करना/शहर में आधारभूत सुविधायें/परियोजनाओं का चिन्हीकरण करना।
17. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु–

Scanned with Ca